न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

1 प्र. सं. 45/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2012

ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़

.....निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती बादामीबाई पत्नि श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
2 श्री केला पिता श्री उदा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
3 श्री भगवाना पिता श्री केला जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
4 श्री नाना पिता श्री नन्दा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
5 स्व. श्री नन्दाजी पिता उदाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा के बजायः–
5/1 श्रीमती बादामी पत्नि श्री नन्दरामजी अहीर
5/2 श्रीमती कंचन पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
5/3 श्रीमती कमली पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
5/4 श्री छोगा पिता श्री नन्दरामजी अहीर
5/5 श्री नाना पिता श्री नन्दरामजी अहीर
6 श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
7 श्रीमती कमलीबाई पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
8 समस्त ग्रामवासीयान रामाखेडा के प्रतिनिधि जरिये–
(1) श्री नानुराम पिता औंकार जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(2) श्री शंकरलाल पिता किशनलाल जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(3) श्री गोरधन पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी रामाखेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

(4) श्री भैरूलाल पिता दयाराम जी सुथार निवासी रामाखेड़ा
(5) श्री नानुराम पिता मोड़ाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(6) श्री औंकार पिता घासी अहीर निवासी रामाखेड़ा

.......विपक्षीगण

रिव्यू निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 40 से 53 दिनांक 24.10.83 को निरस्त कराने बाबत।

2 प्र. सं. 46/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2012

ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्रीमती बादामीबाई पत्नि श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
2 श्री केला पिता श्री उदा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
3 श्री भगवाना पिता श्री केला जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
4 श्री नाना पिता श्री नन्दा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
5 स्व. श्री नन्दाजी पिता उदाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा के बजायः-
5/1 श्रीमती बादामी पत्नि श्री नन्दरामजी अहीर
5/2 श्रीमती कंचन पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
5/3 श्रीमती कमली पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
5/4 श्री छोगा पिता श्री नन्दरामजी अहीर
5/5 श्री नाना पिता श्री नन्दरामजी अहीर
6 श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
7 श्रीमती कमलीबाई पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर निवासी रामाखेड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

8 समस्त ग्रामवासीयान रामाखेडा के प्रतिनिधि जरिये-

(1) श्री नानुराम पिता औंकार जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

(2) श्री शंकरलाल पिता किशनलाल जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

(3) श्री गोरधन पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी रामाखेड़ा

(4) श्री भैरूलाल पिता दयाराम जी सुथार निवासी रामाखेड़ा

(5) श्री नानुराम पिता मोड़ाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा

(6) श्री औंकार पिता घासी अहीर निवासी रामाखेड़ा

.......विपक्षीगण

रिव्यू निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 40 से 53 दिनांक 24.10.83 को निरस्त कराने बाबत।

3 प्र. सं. 47/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2012

ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्रीमती बादामीबाई पत्नि श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

2 श्री केला पिता श्री उदा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

3 श्री भगवाना पिता श्री केला जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

4 श्री नाना पिता श्री नन्दा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

5 स्व. श्री नन्दाजी पिता उदाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा के बजायः-

5/1 श्रीमती बादामी पत्नि श्री नन्दरामजी अहीर

5/2 श्रीमती कंचन पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर

5/3 श्रीमती कमली पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर

5/4 श्री छोगा पिता श्री नन्दरामजी अहीर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

5/5 श्री नाना पिता श्री नन्दरामजी अहीर
6 श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
7 श्रीमती कमलीबाई पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
8 समस्त ग्रामवासीयान रामाखेडा के प्रतिनिधि जरिये-
(1) श्री नानुराम पिता औंकार जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(2) श्री शंकरलाल पिता किशनलाल जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(3) श्री गोरधन पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी रामाखेड़ा
(4) श्री भैरूलाल पिता दयाराम जी सुथार निवासी रामाखेड़ा
(5) श्री नानुराम पिता मोड़ाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(6) श्री औंकार पिता घासी अहीर निवासी रामाखेड़ा

.......विपक्षीगण

रिव्यू निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 40 से 53 दिनांक 24.10.83 को निरस्त कराने बाबत।

4 प्र. सं. 48/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2012

ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्रीमती बादामीबाई पत्नि श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
2 श्री केला पिता श्री उदा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
3 श्री भगवाना पिता श्री केला जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
4 श्री नाना पिता श्री नन्दा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
5 स्व. श्री नन्दाजी पिता उदाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा के बजायः-

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

5/1 श्रीमती बादामी पत्नि श्री नन्दरामजी अहीर
5/2 श्रीमती कंचन पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
5/3 श्रीमती कमली पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
5/4 श्री छोगा पिता श्री नन्दरामजी अहीर
5/5 श्री नाना पिता श्री नन्दरामजी अहीर
6 श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
7 श्रीमती कमलीबाई पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
8 समस्त ग्रामवासीयान रामाखेडा के प्रतिनिधि जरिये–
(1) श्री नानुराम पिता औंकार जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(2) श्री शंकरलाल पिता किशनलाल जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(3) श्री गोरधन पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी रामाखेड़ा
(4) श्री भैरूलाल पिता दयाराम जी सुथार निवासी रामाखेड़ा
(5) श्री नानुराम पिता मोड़ाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
(6) श्री औंकार पिता घासी अहीर निवासी रामाखेड़ा

.......विपक्षीगण

रिव्यू निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 40 से 53 दिनांक 24.10.83 को निरस्त कराने बाबत।

5 प्र. सं. 49/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2012

ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़
.....निगराकार

बनाम

1 श्रीमती बादामीबाई पत्नि श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
2 श्री केला पिता श्री उदा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

3 श्री भगवाना पिता श्री केला जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

4 श्री नाना पिता श्री नन्दा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

5 स्व. श्री नन्दाजी पिता उदाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा के बजायः-

5/1 श्रीमती बादामी पत्नि श्री नन्दरामजी अहीर

5/2 श्रीमती कंचन पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर

5/3 श्रीमती कमली पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर

5/4 श्री छोगा पिता श्री नन्दरामजी अहीर

5/5 श्री नाना पिता श्री नन्दरामजी अहीर

6 श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

7 श्रीमती कमलीबाई पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर निवासी रामाखेड़ा

8 समस्त ग्रामवासीयान रामाखेडा के प्रतिनिधि जरिये-

(1) श्री नानुराम पिता औंकार जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

(2) श्री शंकरलाल पिता किशनलाल जी अहीर निवासी रामाखेड़ा

(3) श्री गोरधन पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी रामाखेड़ा

(4) श्री भैरूलाल पिता दयाराम जी सुथार निवासी रामाखेड़ा

(5) श्री नानुराम पिता मोड़ाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा

(6) श्री औंकार पिता घासी अहीर निवासी रामाखेड़ा

.......विपक्षीगण

रिव्यू निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 40 से 53 दिनांक 24.10.83 को निरस्त कराने बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

6 प्र. सं. 50/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2012

ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया तहसील चित्तौड़गढ़ .....निगराकार	बनाम	1	श्रीमती बादामीबाई पत्नि श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		2	श्री केला पिता श्री उदा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		3	श्री भगवाना पिता श्री केला जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		4	श्री नाना पिता श्री नन्दा जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		5	स्व. श्री नन्दाजी पिता उदाजी अहीर निवासी रामाखेड़ा के बजायः-
		5/1	श्रीमती बादामी पत्नि श्री नन्दरामजी अहीर
		5/2	श्रीमती कंचन पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
		5/3	श्रीमती कमली पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर
		5/4	श्री छोगा पिता श्री नन्दरामजी अहीर
		5/5	श्री नाना पिता श्री नन्दरामजी अहीर
		6	श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री नन्दराम जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		7	श्रीमती कमलीबाई पुत्री श्री नन्दरामजी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		8	समस्त ग्रामवासीयान रामाखेडा के प्रतिनिधि जरिये-
		(1)	श्री नानुराम पिता औंकार जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		(2)	श्री शंकरलाल पिता किशनलाल जी अहीर निवासी रामाखेड़ा
		(3)	श्री गोरधन पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी रामाखेड़ा
		(4)	श्री भैरूलाल पिता दयाराम जी सुथार निवासी रामाखेड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

(5) श्री नानुराम पिता मोड़ाजी अहीर
निवासी रामाखेड़ा

(6) श्री औंकार पिता घासी अहीर
निवासी रामाखेड़ा

.......विपक्षीगण

रिव्यू निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 40 से 53 दिनांक 24.10.83 को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितिः- 1- श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता, निगराकार
2- श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8

निर्णय

दिनांकः- 16.07.2019

उपरोक्त सभी प्रकरण एक ही प्रकृति के होने से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं। निर्णय की प्रति उपरोक्त सभी प्रकरणों की पत्रावलियों में संलग्न की जावे। प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 8 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी जो प्रकरण सख्या 02/01 से 08/01 तक दर्ज रजिस्टर की जाकर सभी निगरानियों को एक साथ निर्णय दिनांक 20.09.2003 से निस्तारित कर निगरानियां अस्वीकार की गई। इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत तुम्बडिया द्वारा यह पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारा चुपके-चुपके एक ही परिवार के व्यक्तियों को भूखण्ड विक्रय किये जाने, इस निलामी में ग्रामवासियों के भाग नहीं लिये जाने, क्योंकि यह भू-भाग सार्वजनिक हित तथा प्राथमिक विद्यालय के सामने होने से निलामी से विक्रय योग्य नहीं होने से पट्टे निरस्त करने का निवेदन किये जाने पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 16.02.2004 से उक्त पट्टे निरस्त किये गये।

विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा निर्णय दिनांक 16.02.2004 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रीट प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 5239/2005 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 18.09.2012 से रीट स्वीकार कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण पुनः इस न्यायालय को रिव्यू प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार शर्मा ने अपनी उपस्थिति दी। शेष पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किए गए। निगराकार की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया। रेकार्ड से मूल रिव्यू प्रार्थना पत्र की पत्रावली संख्या 73/03 तलब करने पर मूल पत्रावली प्राप्त हुई। दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 7 के अनुपस्थित रहने से बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार एवं विपक्षीगण संख्या 8 सुनकर प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

निगराकार के अधिवक्ता ने कथन किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्डों की निलामी का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर चुपके-चुपके विवादित भूखण्ड एक ही परिवार के व्यक्तियों को विक्रय कर दिए। उक्त भूखण्डों की निलामी बाबत् पूर्व में वर्ष 1982 में भी निलामी दिनांक 10.08.82 से 12.08.82 तक निर्धारित कर कार्यवाही की गई परन्तु तब भी, उक्त भूखण्डों वाला भू-भाग सार्वजनिक हित तथा विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय रामाखेड़ा गेट के सामने होने से गांव के किसी व्यक्ति ने उक्त निलामी में भाग नहीं। उस वक्त इस निलामी में नाबालिग व्यक्तियों को नियम विरूद्ध भूखण्ड विक्रय किए गए हैं। कभी भी विवादित भू-भाग पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं रहा है और वतर्मान में भी उक्त भूखण्डों पर कोई निर्माण नहीं होकर पड़त पडे हुए हैं तथा अब विपक्षी संख्या 1 से 7 जिन्हें तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए गए थे उन्होने भी भी सार्वजनिक हित तथा विद्यालय हित में उक्त पट्टे खारीज किये जाने हेतु 100 रूपये के स्टाम्प पर यह इबारत लिखकर दी है जो कि दस्तावेज सूची के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अतः पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 7 के पक्ष में जारी पट्टे निरस्त फरमावें।

विपक्षी संख्या 8 के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि आबादी की आराजी नम्बर 183/497 को आबादी से खारीज कर उसके स्थान पर पुरानी आबादी के समीप स्थित चरनोट आ. नं. 360 में से आबादी विस्तार के लिये भूमि दिलाई जावे तथा विवादित आ.नं. 183/497 को सार्वजनिक हित तथा विद्यालय के हित के लिए रखा जावे। विपक्षी संख्या 1 से 7 भी विद्यालय हित में पट्टे समर्पण करने को तैयार हैं इस बाबत् उन्होने 100/- रूपये मूल्य के स्टाम्प पर शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः विवादित पट्टे निरस्त फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुम्बडिया से प्राप्त रेकार्ड का गहनता से अवलोकन कर प्रकरण गुणावगुण पर देखा। विवादित भूमि के संबंध में तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर (भू. अ.), चित्तौड़गढ़ ने मौके का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार ग्रामवासियान रामाखेड़ा उक्त आबादी भूमि आ. नं. 183/497 को खारिज करा इसके स्थान पर पुरानी आबादी के समीप स्थित आ. नं. 360 चरनोट में से आबादी विस्तार हेतु भूमि चाहते हैं तथा विवादित भूखण्डों वाली भूमि जो कि प्राथमिक विद्यालय रामाखेड़ा के गेट के सामने स्थिति है उसे सार्वजनिक हित तथा विद्यालय उपयोग हेतु रखना चाहते हैं।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से विवादित भूखण्डों के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि वर्तमान में विवादित भूखण्ड मौके पर पडत होकर किसी का कब्जा नहीं है।

सन् 1983 में विवादित भूखण्ड विक्रय किए गए हैं और वर्तमान में 35 वर्ष के पश्चात् भी विवादित भूखण्डों पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है तथा न ही किसी भी प्रकार का निर्माण है। ग्रामवासियान रामाखेड़ा विवादित भूमि को आबादी से खारीज करा सार्वजनिक उपयोग हेतु रखना चाहते हैं तथा विपक्षी संख्या 1 से 7 जिनके नाम पट्टे जारी किए गए हैं उन्होने भी 100/- रूपये के स्टाम्प पर नोटरीशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूखण्डों पर विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा न ही उन्होने इनका उपयोग किया है इन पट्टों को हमारे नाम से खारीज किये जावे तथा ग्राम के किसी भी व्यक्ति को उक्त पट्टे नहीं दिये जाकर सिर्फ गांव के स्कूल के नाम ही उक्त पट्टे आवंटन किये जावे।

चूंकि विपक्षी संख्या 1 से 7 स्वयं भी विद्यालय के पक्ष में उक्त पट्टों को समर्पण करना चाहते हैं उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 16.02.2004 यथावत रखा जाता है। साथ ही सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत तुम्बडिया को निर्देशित किया जाता है कि विवादित पट्टों वाले भूखण्डों पर ग्राम के किसी अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी नहीं किये जाकर उक्त भूमि सार्वजनिक हित तथा विद्यालय हित के लिए उपयोग ली जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official